भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3273
16 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

''विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि''

3273. श्री डी. के. सुरेशः

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर कार्यबल की कुल संख्या का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु कोई पहल की है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सूचित किया है कि सरकार ने घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को तेज़ करने के लिए पिछले एक वर्ष में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यातों को बढ़ाने के लिए *आत्मनिर्भर भारत* के तहत 13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन-संबद्ध-प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई है। चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल फोनों, इलेक्ट्रिक उपकरणों, फार्मास्युटिकल औषधियों, दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए पीएलआई स्कीमें अधिसूचित की गई हैं। निवेश प्रसुविधा और संवर्द्धन हेतु मंत्रालयों/विभागों में एक अधिकार-प्राप्त सचिव समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों और चयनित राज्य सरकारों से मंज़ूरी वाली एकल वातायन प्रणाली विचाराधीन है ताकि आद्योपांत प्रसुविधा सहायता प्रदान की जा सके। घरेलू विनिर्माण संवर्द्धन के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में अगले तीन वर्षों में प्लग एंड प्ले सुविधायुक्त सात मेगा निवेश वस्त्र पार्कों (मित्र) की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीमा-शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाये जाने और पुराने तथा अनुपयुक्त वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध ढंग से बाहर

करने की स्क्रैपेज नीति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज़ होने का अनुमान है। भारत में निवेश बढ़ाने और अधिक कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन भार में कटौती एक सतत प्रक्रिया है।

घरेलू विनिर्माण बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे- न्यूनतम स्थानीय सामग्री बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्रय नियमावली में संशोधन; नवप्रवर्तन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त पारितंत्र के निर्माण हेतु कोषों के कोष, बीज कोष, ऋण गारंटी स्कीम;औद्योगिक भूमि/भूमि बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणालियां;विभिन्न औद्योगिक गलियारों में नोडों का विकास कर विश्वस्तरीय अवसंरचना सृजन; बहुविध कनेक्टिविटी अवसंरचना संबंधी राष्ट्रीय मास्टर प्लान का निर्माण; पूर्वोत्तर राज्यों, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीमें प्रचालन में हैं ताकि पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

विगत 3 वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर निम्नानुसार रही है:

विनिर्माण क्षेत्र की समग्र वृद्धि	2017-18	2018-19	2019-20
	4.6	3.9	-1.4

जहां तक विनिर्माण क्षेत्र के कार्यबल के कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पहलों का संबंध है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि विनिर्माण क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 40 से अधिक कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय निम्नांकित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, यथा- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अल्पावधिक कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कारीगर प्रशिक्षण स्कीम तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण हेतु 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान।

<u>अल्पावधिक प्रशिक्षण</u>

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, तीन मार्गों से अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं, नामतः विद्यालय/महाविद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों और बेरोज़गार युवाओं के नवकौशलन हेतु अल्पावधिक प्रशिक्षण; अभिमुखन के माध्यम से मौजूदा कौशलों को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिगम-पूर्व मान्यता (आरपीएल); और कमज़ोर वर्गों की कौशल आवश्यकताओं के समाधान के लिए विशेष परियोजनाएं। 2016-17 से 2020-21 (19.01.2021 तक) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी रोज़गार भूमिकाओं के तीनों प्रारुपों में 106.96 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित 18.95 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान एसटीटी और विशेष परियोजना प्रशिक्षण मार्गों वाले 18.95 लाख अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार मिलने की सूचना है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के 5.34 लाख अभ्यर्थियों को मिला रोज़गार शामिल है। आरपीएल अभ्यर्थियों का अभिमुखन करता है और प्लेसमेंट को अधिदेशित नहीं करता।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के शुल्क-आधारित बाज़ार मॉडल के अंतर्गत 2014-15 में इस मॉडल की शुरुआत से ही विनिर्माण में 24,025 प्रशिक्षण और 7,973 प्लेसमेंट उपलब्ध कराए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन स्कीम के अंतर्गत 2016-17 से विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार भूमिकाओं सहित विभिन्न रोज़गार भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 9.60 लाख है। इस स्कीम के मानदंड में प्लेसमेंट शामिल नहीं है।

<u>दीर्घावधिक प्रशिक्षण</u>

कारीगर प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 2016-17 से विनिर्माण क्षेत्रक रोज़गार भूमिकाओं सहित 137 ट्रेडों में विभिन्न रोज़गार भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 52.98 लाख है। इस स्कीम के मानदंड में प्लेसमेंट शामिल नहीं है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान और 2020-21 में कौशल प्रशिक्षण पाए लोगों की संख्या 2.36 लाख है। शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त, प्रशिक्षित व्यक्तियों को आईटीआई में उनके अपने ट्रेड/सेक्टरों में शिल्प अनुदेशक के रुप में नियोजित किया जा सकता है और वे उद्योग जगत में भी तकनीशियन के रुप में काम कर सकते हैं।

*****